

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- ~~1533~~ / VIII / 19-331(श्रम) / 2002

देहरादून, दिनांक: 18 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा- 26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, राज्य के जनपद पिथौरागढ़ की 44- पिथौरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन 2019 हेतु दिनांक 25.11.2019 (सोमवार) को मतदान हेतु उक्त संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान के तिथि दिनांक 25.11.2019 (सोमवार) को, उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि-

- (i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 25.11.2019 (सोमवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।
- (ii) किन्तु अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

(हरबंस सिंह चुघ)  
सचिव।

संख्या 1533 (1) / VIII / 19-331(श्रम) / 2002, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को जन-सामान्य में प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु।
5. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड को इस निर्देश सहित प्रेषित कि आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।
6. उप/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)  
अपर सचिव।